भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1579
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13अग्रहायण, 1946 (शक)

ऑनलाइन जुआ (गैंबलिंग)

1579.श्री श्रेयस एम. पटेलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी घटनाओं की जानकारी है जिनमें ऑनलाइन जुए (गैंबलिंग) में वित्तीय हानि अथवा इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा उत्पीड़न के कारण व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है;
(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऑनलाइन गैंबलिंगऔर अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी आत्महत्याओं की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग अथवा अवैध सट्टेबाजी में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो कितने और किस प्रकार के नोटिस जारी किए गए अथवा कितना जुर्माना लगाया गया;
(घ) क्या सरकार प्रचलित गैंबलिंग ऐप्स को मौके का खेल या पसंद का खेल मानती है और इस वर्गीकरण के पीछे क्या औचित्य है; और
(ङ) क्या सरकार नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन गैंबलिंग को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित कानून का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ऑनलाइन जुए से होने वाले जोखिमों तथा संभावित नुकसानों जैसे कि व्यसन, वित्तीय क्षति और उत्पीड़न आदि से अवगत है। केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना है।

जहाँ तक ऑनलाइन जुए को विनियमित करने का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "सट्टेबाजी और जुआ" एक राज्य विषय है। इसलिए, राज्य विधानसभाओं के पास सट्टेबाजी और जुए से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस") "संगठित अपराध" को परिभाषित करती है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किए गए आर्थिक अपराध, साइबर अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीएनएस में "छोटे संगठित अपराध" को परिभाषित किया गया है जिसमें अनाधिकृत रूप से सट्टेबाजी करना या जुआ खेलना शामिल है। इस तरह के छोटे संगठित अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाएगी जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") के मनोनीत अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत भारत की संप्रभुता, अखंडता, और सुरक्षा

तथा राज्य की सुरक्षा, अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने या सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने में या उपरोक्त से संबंधित संज्ञेय अपराध को बढ़ावा देने वाली विशिष्ट प्रकार की सूचना/लिंक (सट्टेबाजी या

जुआ साइटों सहित) को ब्लॉक करने के लिए मध्यस्थों को आदेश जारी करने का अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जनता के लिए सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। एमईआईटीवाई ने वर्ष 2022- 24 के बीच आईटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी / जुआ / गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) के संबंध में 692 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं।

ऑनलाइन नुकसान, अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए, एमईआईटीवाई ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, आईटी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं। आईटी नियम, 2021 के अतंर्गत सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित सभी मध्यस्थों पर ऐसीसूचना के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने का दायित्व डाला गया है, जिस सूचना को किसी प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत या साझा नहीं किया जाना है। मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करें जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो। मध्यस्थों द्वारा अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक होता हैजिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत की गई गैरकानूनी सूचना को हटाने या किसी भी ऐसी सूचना के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना शामिल है जो कि अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक हो या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित हो या उसे प्रोत्साहित करती हो।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ("एमआईबी") ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को ऑनलाइन गेमिंग, फेंटसी खेलों आदि से संबंधित 4 दिसंबर, 2020 को एक एडवाइजरी जारी की है , जिसमें कहा गया है कि वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा न दें जो कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, एमआईबी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, एंडोर्सर्स और इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया बिचौलियों और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को क्रमश: दिनांक 13.06.2022, 03.10.2022, 06.04.2023, 25.08.2023 और 21.04.2024 को एडवाइज़री जारी की है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचें, जो भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के साथ व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ("एलईए") के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ("आई4सी") की स्थापना की है। गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने के मामले में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in)भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों और वित्तीय

धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं । ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' आरंभ किया गया है।

******